निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 1 / 2024
दायरा दिनांकः–20.11.2024
निर्णय दिनांकः– 25.6.25

उनवान

1. चन्द्रकला पत्नि प्रेमचन्द जाति जाटव निवासी छबडा
2. कुलदीप पुत्र प्रेमचन्द जाति जाटव निवासी छबडा
3. कामिनी पुत्री प्रेमचन्द जाति जाटव निवासी छबडा
4. निखिल पुत्र प्रेमचन्द जाति जाटव निवासी छबडा
5. विजेता पुत्री प्रेमचन्द जाति जाटव निवासी छबडा
6. हरिश कुमार पुत्र हंसराज जाति जाटव निवासी छबडा
7. दिलीप कुमार पुत्र हंसराज जाति जाटव निवासी छबडा
8. कल्पना पत्नि हरीश जाति जाटव निवासी छबडा
9. रेखा पत्नि दिलीप कुमार जाति जाटव निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां

बनाम

1. सुरेशचन्द पुत्र जमनालाल जाति धाकड निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबडा
2. डाली बाई पत्नि रामनारायण जाति चमार निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबडा
3. अमरचन्द पुत्र घांसी जाति चमार निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबडा
4. शान्ति बाई पत्नि जमनालाल जाति धाकड निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबडा
5. अशोक बाई पुत्री जमानालाल जाति धाकड निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबडा
6. किरण पुत्री जमानालाल जाति धाकड निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबडा
7. ललिता पुत्री जमानालाल जाति धाकड निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबडा
8. शकुन्तला पुत्री जमानालाल जाति धाकड निवासी ग्रामब निपानिया तहसील छबडा
9. कन्हैयालाल पुत्र दुर्गालाल जाति चमार निवासी ग्राम रातडिया तहसील अन्ता
10. द्वारक्या पुत्री दुर्गालाल जाति चमार निवासी ग्राम रातडिया तहसील अन्ता
11. द्वारकीलाल पुत्र दुर्गालाल जाति चमार निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबडा
12. बजरंगा पुत्र दुर्गालाल जाति चमार निवासी ग्राम रातडिया तहसील अन्ता
13. बबलु पुत्र धुलीलाल जाति चमार निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबडा
14. बाबूलाल पुत्र धुलीलाल जाति चमार निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबडा
15. मदनलाल पुत्र दुर्गालाल जाति चमार निवासी ग्राम रातडिया तहसील अन्ता
16. मनोज पुत्र धुलीलाल जाति चमार निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबडा
17. ममता पुत्री दुर्गालाल जाति चमार निवासी ग्राम रातडिया तहसील अन्ता
18. राजेश पुत्री धुलीलाल जाति चमार निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबडा
19. रामगोपाल पुत्र दुर्गालाल जाति चमार निवासी ग्राम रातडिया तहसील अन्ता
20. शान्ति बाई पुत्री दुर्गालाल जाति चमार निवासी ग्राम रातडिया तहसील अन्ता
21. जमनालाल पुत्र बिरधीलाल जाति धोबी निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
22. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी ए. एक्ट

निर्णय दिनांकः– 25.6.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राकेश कुमार सोनी– प्रार्थी

2. श्री हेमन्त पारीक – अप्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 251 (क) आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमियात ग्राम निपानियां मे मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार अलग अलग जमाबंदियो मे खसरा नम्बर 27/4, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 32, 10/1 स्थित है प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमियात को काश्त करने के लिए हमेशा से ही मुख्य सडक से होकर खसरा नम्बर 224,1261/214, 223,1260/214, 222, 217, 219, 221, 27 की मेर पर होकर अपने अपने खेतो मे आते जाते रहे है। और कृषि यन्त्र लाते ले जाते रहे है। प्रार्थीगण के खेतो मे आने जाने का रास्ता रेवेन्यु रेकार्ड मे दर्ज नही होने के कारण प्रार्थीगण 251. आर.टी. एक्ट के अन्तर्गत तहसीलदार से खुल्लासा कराने में असमर्थ है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार साहब से निवेदन भी किया किन्तु रेकार्ड में दर्ज ना होने से खुल्लासा करने में असमर्थता व्यक्त की। वर्तमान में भूमियात की किमते बढ़ने के कारण मुख्य सड़क खसरा नम्बर 210 के आस पास के खेत वाले सुरेशचन्द वगे. डालीबाई, शान्तिबाई, अमरचन्द आदि ने रास्ता जो हमेशा से ही 20 फुट चौड़ा स्थित था को हाक कर रास्ते की भूमि को अपने अपने खेतो मे मिलाकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थीगण का खेत रास्ते के अभाव मे पडत पड़ा हुआ है, प्रार्थीगण कानूनन रास्ता प्राप्त करना चाहते है, प्रार्थीगण का रास्ता दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबड़ा को प्रदान कराना चाहते है। ताकि भविष्य में भी प्रार्थीगण को रास्ते बाबत कोई विवाद पैदा ना हो। अप्रार्थीगण जमनालाल, अमरचन्द सुरेश कुमार, शान्तिबाई को भी रास्ते की उतनी ही आवश्यकता है जितनी प्रार्थीगण को है। वह भी रास्ते के भागदीर है। प्रार्थीगण का रास्ता खसरा नम्बर 224 की दक्षिणी मेर व 1261/214 की उत्तरी मेर तथा आगे 1260/214 की उत्तरी मेर व खसरा नम्बर 223 की दक्षिणी मेर इसी प्रकार 222 की दक्षिणी मेर व 217 व 27 की उत्तरी मेर पर होकर स्थित है। खसरा नम्बर 219 व 221 की भूमि सरकारी गैर मुमकिन नाला दर्ज रेवेन्यु रेकार्ड है। प्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है जो खसरा नम्बर 27/4 में आने के पश्चात अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपने अपने खेतो मे आ जा सकते है। प्रार्थीगण को 20 फुट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है प्रार्थीगण उक्त रास्ते से अपने अपने कृषि यन्त्र ले जा कर भूमि को काश्त कर सकते है। यदि अप्रार्थी खसरा नम्बर 27, 217, 218, 222, 223, 1260/214 के खातेदारान भी रास्ते का उपयोग उपभोग में आने वाली भूमि की राशि का भुगतान करने के उत्तरदायी है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी कम 23 से रास्ता खुल्लासा कराने के लिए निवेदन दिनांक 13/10/2024 को किया तो रास्ता रेवेन्यु रेकार्ड मे दर्ज ना होने से असमर्थता व्यक्त कर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने की सलाह दी गई। इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 18/09/2024 को रास्ता हांक कर अपने खेतो मे मिलाने पर अन्तिम बार पैदा हुआ। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सुनने व फेसल कराने का न्यायालय श्रीमान को पूरा पूरा क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 20 बावजूद सूचना के न्यायालय में

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी क्रम 21 की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नक्शा ट्रेंस ग्राम निपानिया नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 1 नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 460 नकल नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 224 नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 568 नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 4 नकल नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 1260/214 नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 146 नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 113 नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 213 नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 478 नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 155 नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 364 नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 68 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 404 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सूनी गई बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। अभिभाषक प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थीया अपनी भूमि को काश्त करने के लिए मुख्य सडक से होकर खसरा नम्बर 224, 1261/214, 223, 1260/214, 222, 217, 219, 221, व 27 की मेड पर होकर अपने खेत पर आते जाते हे प्रार्थीगण का रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण प्रार्थीगण को आने–जाने में परेशानी होती है कुछ खातेदारों ने रास्ते को जोत कर अपने खेत में मिला लिया है तथा रास्ता अवरूद्ध कर दिया है प्रार्थीगण अपने खेत पर जाने के लिए कानूनन रास्ता प्राप्त करना चाहतें है अप्रार्थीगण जमनालाल अमरचन्द, सुरेश कुमार, शान्तीबाई, को भी रास्ते की उतनी ही आवश्यकता है जितनी प्रार्थी का हे प्रार्थी को 20 फुट चौडे रास्ते की आवश्यकता है प्रार्थीगण उक्त रास्ते में आने वाली भूमि का भुगतान प्रार्थीगण करने को तैयार है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार छबडा ने बताया कि प्रार्थी चन्द्रकला, हरिश, एवं दिलीप वगै0 के खाते की भूमि आराजी खसरा नम्बर 27,27/4 27/1, 27/2, 27/3, 28, 32 10/1 किता 8 पर पहुचने हेतु रास्ते का मौका देखा गया। मौके पर प्रार्थीगण पूर्व में खसरा नम्बर 214 व 224 के मध्य मेड से होकर अपने खेत पर आते जाते थे। वर्तमान मं उक्त मेड पर खसरा नम्बर 214 व 224 के खातेदारों द्वारा तार फेंसिंग की हुई है प्रार्थीगण खसरा नम्बर 27, 27/4, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 32, 10/1 किता 8 पर पहुचने के लिए खसरा नम्बर 224, 223, 222, व 1261/214, 1260/214, 221, 219, 217 की मेड से होकर रास्ता चाहता है प्रार्थीगणों के लिए यह सबसे लघुत्तत रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। उक्त खसरों में किसी भी माननीय न्यायालय का कोई स्थगन नही है अप्रार्थीगण को मौके पर सूचना दी गई बावजुद सूचना के अप्रार्थीगण उपस्थित नही हुए।

बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 460 के खसरा नम्बर 224 का खातेदार सुरेशचन्द पुत्र जमनालाल धाकड है। मुताबिक जमाबन्दी खसरा नम्बर 1261/214 की खातेदार डालीबाई खसरा नम्बर 1260/214 की

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

खातेदार अमरचन्द खसरा नम्बर 223 की खातेदार शान्तिबाई खसरा नम्बर 222 के खातेदार अशोक बाई, किरण, ललिता, शकुन्तला, शान्तीबाई सुरेश कुमार है खसरा नम्बर 217 के खातेदार कन्हैयालाल द्वारका बाई, द्वारकीलाल, बजरंगलाल, बबलु बाबूलाल, मदनलाल, मनोज, ममता, राजेश, रामगोपाल, शान्ती खसरा नम्बर 27 के खातेदार जमनालाल है खसरा नम्बर 27/4 के खातेदार प्रार्थी चन्द्रकला खसरा नम्बर 27/1 के खातेदार प्रार्थी क्रम 1 ता 5 है खसरा नम्बर 27/2 के खातेदार हरिश कुमार प्रार्थी क्रम 6 है खसरा नम्बर 27/3 के खातेदार प्रार्थी क्रम 7 दिलीप कुमार खसरा नम्बर 28 के खातेदार कल्पना वगै0 एवं खसरा नम्बर 10/1 के खातेदार हरिश व खसरा नम्बर 32 के खातेदार रेखबाई है इससे यह साबित होता है कि खसरा नम्बर 27/4, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 10/1, 32, के खातेदार प्रार्थीगण है प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर पहुचने के लिए रास्ते की आवश्यकता है प्रार्थीगण खसरा नम्बर 224, 223, 222, 1261/214, 221, 219, 217 की मेड पर होकर 20 फुट रास्ता चाहतें है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार लाल स्याही मे दर्शाया गया रास्ता लघुत्म है एवं अन्य वेकल्पिक रास्ता नही है। यह उल्लेखनिय है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते मे आने वाली भूमि खसरा नम्बर 219 एवं 221 गैरमुमकीन नाला दर्ज है जो आरटी एक्ट की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि के तहत आती है अर्थात इसमे से रास्ता दर्ज करने के प्रावधान नही है इसलिए इस स्थान पर रास्ता खसरा नम्बर 222 की दक्षिणी सीमा मे दर्ज किया जाना उचित है अर्थात प्रार्थीगण के खेतों तक पंहुचने के लिए खसरा नम्बर 219 एवं 221 के स्थान पर इनके उत्तरी सीमा मे स्थित खसरा नम्बर 222 मे से 20 फीट रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 (क) आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छबडा के खसरा नम्बर 27, 27/4 तक पहुचने के लिए खसरा नम्बर 224, 223 की दक्षिणी मेड एवं खसरा नम्बर 1261/214, खसरा नम्बर 1260/214 की उत्तरी मेड मे से आधा–आधा, इसके बाद खसरा नम्बर 221, 219 को छोडते हुए खसरा नम्बर 219 की अंतिम सीमा तक उत्तरी दिशा मे स्थित खसरा नम्बर 222 के दक्षिणी हिस्से मे से सम्पूर्ण 20 फुट तथा इसके बाद खसरा नम्बर 217 के उत्तरी मेड एवं (खसरा नम्बर 219 की सीमा के बाद) खसरा नम्बर 222 की दक्षिणी मेड पर आधा–आधा रास्ता एवं इसके बाद खसरा नम्बर 27 की उत्तरी मेड पर सम्पूर्ण 20 फुट का रास्ता दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते के बदले वर्तमान डी0एल0सी0 दर का दो गुना राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जावें। तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा जमा करवाई गई राशि का भुगतान खसरा नम्बर 224, 223, 222, 1261/214, 1260/214 217, 27 के खातेदारान को किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा